गोपनीय

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 3- 29 /76/3/1 भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 1976
23 आषाढ़ 1898

प्रति,

(1) शासन के समस्त विभागों के सचिव (नाम से)

(2) विभागाध्यक्ष (नाम से)

विषय :- शासकीय सेवकों का वर्गीकरण ।

संदर्भ :- इस विभाग का दिनांक 18 अगस्त, 1975 का ज्ञापन क्रमांक 3-23/75/3/1 ।

=*=*=*=

उपर्युक्त ज्ञापन में शासन द्वारा यह अनुदेश निकाले गये थे कि जिन शासकीय सेवकों की सत्यनिष्ठा संदेहजनक हो, किन्तु उन्हें उनको आवश्यक सेवा पूरी न होने के कारण सेवा निवृत्त करना संभव नहीं है, उन्हें उस पद से स्थानान्तर कर दूसरे पद या स्थान पर पदस्थ किया जावे जहां भ्रष्टाचार के लिये कोई अवसर न हो । प्रशासकीय विभाग इस अनुदेश का किस प्रकार पालन कर रहे है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है । इस संबंध में शासन द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक विभाग अपने अधीन कार्यरत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों के अधिकारियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर उनकी सूची बनाकर हमेशा तैयार रखें :-

(1) ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो और उनके सुधरने की कोई संभावना न हो,

(2) ऐसे शासकीय सेवक जिनकी सत्यनिष्ठा के ओर से संदेह तो है किन्तु उनके सुधरने की गुंजाइश हो

(3) प्रमाणित सत्यनिष्ठा वाले शासकीय सेवक ।

2/ आपसे निवेदन है कि आप अपने विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों से सलाह मशवरा कर उपर्युक्त प्रकार सूची एक माह के भीतर अवश्य बना लें । उपर्युक्त क्रमांक 1 में वर्गीकृत अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा विहित नीति के अनुसार निस्संदेह आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु जब तक वे सेवा में बने रहते है, उनके आचरण तथा कार्यकलापों पर भी कड़ी नजर रखी जाए । इसके साथ ही, इस बात पर भी ध्यान

क्रमशः :- 2

रखा जाए कि किसी जिले में ऐसे अधिकारियों की संख्या अधिक न हो जाये ।

(सुशील चन्द्र वर्मा)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

एफ क्रमांक 3- 20 /76/3/1 भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 1976
23 आषाढ़ 1898

प्रतिलिपि :-

(1) अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर

सभस्त संभागायुक्त,

सभस्त कलेक्टर,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(के0एन0 श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कल्पना/-